



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1320]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 2006/कार्तिक 11, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 2006/KARTIKA 11, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2006

का.आ. 1891(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1372(अ), तारीख 20 सितम्बर, 2005 को अधिक्रांत करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी अर्थात् :—

सारणी

1	2	3
“25.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 [672.197 किलो मीटर से 672.674 किलो मीटर तक (विद्यमान पूर्वी पहुंच और दूसरा विवेकानन्द पुल)], सं. 6 [0.0 किलो मीटर से 136.000 किलो मीटर तक को छोड़कर (कोलकाता से खड़गपुर तक)], सं. 31 [447.000 किलो मीटर से 470.000 किलो मीटर तक और 476.150 किलो मीटर से 634.150 किलो मीटर तक को छोड़कर (डालरखोला से सिलीगुड़ी होते हुए चाल्सा तक)], सं. 31ग [32.750 किलो मीटर से 254.500 किलो मीटर तक को छोड़कर (बागडोगरा से पश्चिमी बंगाल/असम) सीमा], सं. 32, सं. 60 [खड़गपुर से रानीगंज तक का भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर उसके जंक्शन से प्रारंभ होने वाला रानीगंज के पास पांडाबेसवारा-झुबराजपुर-सिडरी को जोड़ने वाला मोरेग्राम के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर इसके जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग], सं. 81 जो पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 35, सं. 55, सं. 60क और 117 (21.80 किलो मीटर से 137 किलो मीटर जोका से बखाली तक)।	पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार”

[फा. सं. एन एच-14012/8/2002-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

- टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 को प्रकाशित की गई थी और तपश्चात् उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :
1. सं. का.आ. 1398(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2005;
 2. सं. का.आ. 1584(अ), तारीख 10 नवम्बर, 2005;
 3. सं. का.आ. 465(अ), तारीख 30 मार्च, 2006।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2006

S.O. 1891(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), and in supersession of the notification of Government of India, in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways number S.O. 1372(E), dated the 20th September, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to the said notification, for serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
“25.	National Highways No. 2 [from Km. 672.197 to 672.674 (Eastern approach of Existing and 2nd Vivekananda Bridge)]; No. 6 [excluding from Km. 0.0 to Km.136.000 (from Kolkata to Kharagpur)], No. 31 [excluding from Km. 447.000 to Km. 470.000 and from Km. 476.150 to Km. 634.150 (Dalkhola to Chalsa via Siliguri)], No. 31C [(excluding from Km. 32.750 to Km. 254.500 (Bagdogra to West Bengal/Assam Border)], No. 32, No. 60 [portion from Kharagpur to Raniganj and the highway starting from its junction with NH 2 near Raniganj connecting Pandaveswara-Dubrajpur-Siuri and terminating at its junction with NH 34 near Moregram], No. 80 and No. 81 as are situated within the State of West Bengal and National Highways No. 35, No. 55, No. 60A and No.117 (Km. 21.80 to Km. 137 from Joka to Bakkhali).	State Govt. of West Bengal”

[F. No. NH-14012/8/2002-P & M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide Number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and subsequently amended vide :

1. Number S.O. 1398(E), dated the 27th September, 2005;
2. Number S.O. 1584(E), dated the 10th November, 2005;
3. Number S.O. 465(E), dated the 30th March, 2006.